विज्ञप्ति संख्या–17 / 2015

कार्यालय,जिला शिक्षा अधीक्षक, धनबाद।

सूचना

सरकार के सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, सरकार राँची के पत्रांक 1530 दिनांक 03.07.2015 एवं पत्रांक 1531 दिनांक 03.07.2015 के निदेशानुसार अधिसूचना संख्या–1388, दिनांक 22.06.2015 में निहित निदेश के आलोक में अधिकतम उम्र सीमा में परिवर्तन होने के कारण कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या 08 / 2015 एवं 07 / 2015 को निरस्त करते हुये पुनः झारखण्ड अद्यिविद् परिषद् द्वारा कक्षा 06 से कक्षा 08 एवं कक्षा 01 से 05 के लिये आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण आवेदकों से राजकीयकृत प्रारंभिक / मध्य विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक (विज्ञान, कला, भाषा, उर्दू भाषा शिक्षक) एवं राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों में गैर योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित शिक्षक एवं योजना अन्तर्गत स्वीकृत इण्टर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षक के रिक्त पदों पर कार्यालय के विज्ञप्ति संख्या 09 / 2015 एवं विज्ञप्ति संख्या 10 / 2015 के द्वारा विहित प्रपत्र में दिनांक 05.08.2015 तक कक्षा 06 से 08 के लिये एवं दिनांक 07.08.2015 तक कक्षा 01 से 05 के लिये स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक के माध्यम से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे।

उक्त विज्ञप्ति के आलोक में प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन गुण–दोष के आधार पर करते हुये प्रथम एवं द्वितीय औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन जिला शिक्षा स्थापना समिति के अनुमोदनोंपरांत प्रकाशित की गई थी। विभागीय पत्रांक 1180 दिनांक 29.05.2015 एवं 1192 दिनांक 02.06.2015 में निहित निर्देश के आलोक में अनुपस्थित अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रहने के कारण स्थापना समिति से अनुमोदनोंपरांत तृतीय औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित की जा रही है। जिसे **www.dhanbad.nic.in** पर देखा जा सकता है।

औपबंधिक मेधा सूची में अंकित सभी अभ्यर्थियों (01–05 एवं 06–08) का कांउसिलिंग दिनांक 19.10.2015 को पूर्वाह्न 10:00 बजे अपराह्न 05:00 बजे तक बी0एस0एस0 बालिका उच्च विद्यालय, धनबाद में निर्धारित की जाती है।

कांउसिलिंग के क्रम में संबंधित अभ्यर्थियों को निम्न कागजातों के साथ इस हेतू गठित बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है–

1. सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के पठनीय अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्रों के साथ।
2. झारखण्ड टेट प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
3. आरक्षण का दावा हेतू सक्षम प्राधिकार (अनुमण्डल पदाधिकारी या उससे ऊपर के पदाधिकारी) द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण–पत्र (नियोजन हेतु) एवं जाति प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ। उक्त दोनों प्रमाण–पत्र अद्यतन एवं विहित–प्रपत्र में होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग हेतु निर्गत प्रमाण–पत्र में पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।
4. पासपोर्ट साईज का दो रंगीन फोटोग्राफ।
5. विकलांग कोटि में चयनित अभ्यर्थी को विकलांगता से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
6. चयनित अभ्यर्थी यदि पारा शिक्षक है तो उन्हें प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति मूल प्रमाण–पत्र के साथ।
7. कांउसिलिंग में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को इस आशय का स्वःधोषणा पत्र देना आवश्यक होगा कि वे किसी दूसरे जिले में शिक्षक पद पर कार्यरत् नहीं है। यदि कार्यरत् है तो इस जिले में आवेदन पत्र देने के पूर्व संबंधित जिला के जिला शिक्षा अधीक्षक से अनुमति प्राप्त की गई है या नहीं?
8. 22सें0मी0 ग 10सें0मी0 का एक स्टेन्डर्ड साईज लिफाफा जिसपर 27 / –रूपये का स्टाम्प टिकट सटा हुआ हो तथा जिसपर अभ्यर्थी का पत्राचार का पता स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो, ताकि पत्र प्राप्ति में कोई कठिनाई न हो।

सभी कागजात प्लास्टिक बन्द कभर फाईल में रखा होगा। फोल्डर के ऊपर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि एवं मेधा क्रमांक / कोटि अंकित होगा। कांउसिलिंग में सम्मिलित होने हेतू अलग से कोई पत्र नहीं दिया जायेगा।

16/X/15

जिला शिक्षा अधीक्षक,
धनबाद

उपायुक्त,
धनबाद।